राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा (म.प्र.)

RAJA SHANKAR SHAH UNIVERSITY CHHINDWARA (M.P.)

आज़ादी का अमृत महोत्सव

P.G. College Campus Dharam Tekri, Chhindwara Email-registrar.cuc@mp.gov.in

क्रमांक / 28788 /आउटसोर्स/निविदा /2025 छिन्दवाड़ा, दिनांक 11/06/2025

//आउटसोर्स निविदा 2025–26//

विषयः– अकुशल/अर्द्धकुशल/कुशल/उच्चकुशल/अन्य आवश्यक कर्मियों की सेवाएं वर्ष 2025–26 में उपलब्ध कराने बाबद ई–निविदा आमंत्रण सूचना/विज्ञप्ति।

राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा के प्रशासकीय/एकादमिक कार्यालय हेतु अनुमानित 45 कर्मियों की सेवाएं आउट सोर्सिंग माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु प्रतिष्ठित अनुभवी तथा आर्थिक रूप से सुदृढ़ फर्म/अभिकरणों में से ऑनलाईन निविदाएं (Two bid tender system, परिशिष्ट अ–ब) आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण शर्तें आदि राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय की अधिकृत वेबसाईट http://cuc.ac.in एवं https://mptenders.gov.in से डाउनलोड की जा सकेगी। निविदा प्रपत्र/शर्तों का मूल्य राशि रूपये 2000/– (दो हजार रूपये मात्र) का भुगतान tender portal पर कर रसीद निविदा के साथ अवश्य संलग्न करें।

ऑनलाईन निविदा क्रय करने की आंरभिक तिथि	**14/06/2025**
ऑनलाईन निविदा क्रय करने की अंतिम तिथि	**28/06/2025**
ऑनलाईन निविदा भरने की अंतिम तिथि	**28/06/2025**

निविदा सत्यापन/ओपन दिनांक 30/06/2025 को भण्डार कार्यालय में अपरान्ह 12:00 बजे उपस्थित निविदाकारों या उनके अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोला जाएगा। तकनीकी विड से संबंधित समस्त दस्तावेज Online upload किये जाएंगे।

नोट– निविदा/पुनः निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन समाचार पत्र के माध्यम से नहीं किया जाएगा, यह केवल विश्वविद्यालय की अधिकृत वेबसाईट पर ही प्रकाशित होगा।

कुलसचिव

राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय,

छिन्दवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा (म.प्र.)
RAJA SHANKAR SHAH UNIVERSITY CHHINDWARA (M.P.)
P.G. College Campus Dharam Tekri, Chhindwara Email-registrar.ouc@mp.gov.in

आज़ादी का अमृत महोत्सव

-: निविदाकर्ता हेतु आवश्यक अर्हकारी शर्तें :-

'निविदा में सफल होने हेतु निविदाकर्ता से खुली निविदा जो Two bid tender system पर आधारित होगी, निविदाकार अभिकरण/फर्म निम्नलिखित दस्तावेजो/अभिलेखों/प्रमाणपत्रों की स्वसत्यापित छायाप्रति (परिशिष्ट अ में) संलग्न (upload) करें। दस्तावेज निम्नानुसार क्रमिक रूप से ही संलग्न करें।

1. फर्म/अभिकरण/संस्था के कार्यालय का वैध स्थापना गुमास्ता पंजीयन का प्रमाण–पत्र।
2. फर्म का PAN No तथा GST No.
3. पिछले तीन वर्षो में दाखिल किये गये आयकर विवरणी (सीए द्वारा प्रमाणित आईटीआर) जिसमें पिछले 03 वर्षो का औसत रिटर्न 7.5 लाख से कम न हो।
4. ESIC का वैध पंजीयन तथा पिछले 3 माह में जमा चालान की प्रति (ईसीआर) संलग्न करें। (100 कर्मियों के अंशदान का)
5. EPF का वैध पंजीयन तथा पिछले 3 माह में जमा चालान की प्रति (ईसीआर) संलग्न करें। (100 कर्मियों के अंशदान का)
6. श्रम विभाग द्वारा जारी वैध (Valid) पंजीयन प्रमाण पत्र/लायसेंस।
7. सेवा प्रदाय करने वाली फर्म/अभिकरण संस्था को शासकीय/अर्द्धशासकीय निकाय में कर्मियों की सेवाएं उपलब्ध कराने का पिछले तीन वर्षो का अनुभव/कार्यादेश प्रमाण पत्र।
8. विगत तीन वर्षो के दौरान (2021–22, 2022–23, 2023–24) फर्म/अभिकरण/संस्था न्यूनतम वार्षिक औसत टर्न ओवर रूपये 2,00,00,000/– (दो करोड़ रूपये मात्र) होने का प्रमाण (सी.ए. द्वारा प्रमाणित)।
9. फर्म ऑनर द्वारा रूपये 500 के नोटराइज्ड स्टाम्प में किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था द्वारा प्रतिबंधित/ब्लैकलिस्टेड न होने एवं सुरक्षा राशि जब्त न होने तथा संस्थान के विरूद्ध कोई अपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं होने का शपथ पत्र।
10. निविदाकर्ता को निविदा प्रपत्र के साथ धरोहर राशि 3,00,000/– (तीन लाख रूपये मात्र, निविदा मूल्य 1 करोड़ का 3 प्रतिशत) निविदा के साथ जमा कर रसीद/पावती संलग्न करना होगा। निविदा प्रपत्र का मूल्य 2000/– (दो हजार रूपये मात्र) की रसीद निविदा के साथ संलग्न करना होगा। सफल निविदाकार को अनुबंध के साथ सुरक्षा निधि (पी.जी.) के रूप में 3,00,000/– (तीन लाख रूपये मात्र) उपलब्ध कराना होगा।
11. अंतिम 03 वर्ष की सीए द्वारा प्रमाणित बैलेंस सीट तथा अद्यतन टर्न ओवर/नेटवर्थ सर्टिफिकेट।

Scanned with OKEN Scanner

निविदा हेतु आवश्यक नियम/शर्तें

1. राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा हेतु अकुशल/अर्द्धकुशल/कुशल/उच्च कुशल/अन्य आवश्यक कर्मियों की सेवाएं आउटसोर्सिंग के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु प्रतिष्ठित व आर्थिक रूप से सुदृए अभिकरण/परामर्शी फर्म की आवश्यकता है।
2. प्रारंभिक तौर पर कर्मियों की संख्या लगभग 45 होगी, किन्तु आवश्यकतानुसार उक्त कर्मियों की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकेगी।
3. विश्वविद्यालय में सेवा हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले समस्त कर्मियों की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिये। कर्मियों की शैक्षणिक योग्यता एवं कार्य संबंधी योग्यताएं/अनुभव शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार होना चाहिए।
4. विःवविद्यालय में कार्यालयीन कार्य की प्रकृति अनुसार कर्मियों द्वारा कार्य सम्पन्न किया जाएगा तथा कार्यालयीन समय बंधनकारी होगा।
5. एजेंसी/फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये समस्त कर्मियों पर श्रम विभाग द्वारा समय–समय पर जारी समस्त दिशा–निर्देश लागू/मान्य होगे।
6. फर्म/एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे समस्त कर्मियों का शैक्षणिक आर्हता विधिवत पंजीयन अपने कार्यालय में रखेगा एवं कर्मचारियों की सूची, बायोडाटा, फोटो, आधार कार्ड तथा आवश्यकतानुसार पुलिस सत्यापन सहित अन्य समस्त जानकारी की एकप्रति तत्काल विश्वविद्यालय के स्टोर विभाग में उपलब्ध कराना होगा।
7. यदि कर्मियों (जो अनुबंध पश्चात् अभिकरण के कर्मी कहलायेंगें) द्वारा ऐसा कोई कार्य किया जाता है जो कदाचरण/अनुशासनहीनता/अयोग्यता की कोटि में आता हो तथा उससे विश्वविद्यालय को क्षति/सुरक्षा जोखिम हो तो अभिकरण को ऐसे कर्मियों के विरूद्ध तुरन्त नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही करनी होगी तथा विश्वविद्यालय की अनुशंसा पर उसे तुरन्त कार्यस्थल से हटाना होगा।
8. शासन के नियमानुसार तथा टेण्डर शर्तों के मांग अनुसार समस्त करों सहित पीएफ, ESIC व नियमानुसार समय–समय पर जारी अन्य देयकों का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा अनुबंधित अभिकरण को दी गई भुगतान राशि में से किया जावेगा। अभिकरण की यह जिम्मेदारी होगी कि वह कर्मियों का भुगतान राशि में से किया जावेगा। अभिकरण की यह जिम्मेदारी होगी कि वह कर्मियों का भुगतान नियमानुसार तथा समय पर (48 घण्टे के भीतर) करेगा। कर/कटौत्रा राशि प्रतिमाह समयावधि में संबंधित कार्यालय में जमा कराने के संबंध में उत्पन्न किसी भी वाद/अन्यथा की स्थिति के लिये निविदाकार स्वयं जिम्मेदार होगा।
9. सभी कर्मी शारीरिक, मानसिक रूप से स्वस्थ्य होने चाहिए एवं व्यवहार/हाव–भाव सौम्य एवं मधुर होने चाहिये। कोई भी कर्मी संदेहास्पद चरित्र का नहीं होना चाहिये। ऐसा पाये जाने पर उनकी सेवा समाप्त करना निविदाकर्ता के लिये अनिवार्य होगा।
10. एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मियों को विश्वविद्यालय द्वारा आदेशित स्थल पर कार्य करना होगा तथा वे अपने से उच्च स्तर के अधिकारियों के प्रति जिम्मेदार होंगे। उनके द्वारा प्रशासनिक/नैतिक रूप से गलत कार्य किये जाने पर दण्डात्मक/अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
11. निविदाकार अभिकरण के कर्मियों के आवश्यक होने पर पहचान पत्र जारी करने होंगे। पहचान पत्र में कर्मियों के फोटोग्राफ तथा उनकी व्यक्तिगत सूचनायें जैसे नाम, जन्मतिथि, पता, दूरभाष नम्बर आदि दर्ज होंगे।
12. सेवा प्रदाता अभिकरण को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके कर्मियों द्वारा विश्वविद्यालय की कोई भी सुरक्षा/गोपनीय/तकनीकी/प्रशासनिक जानकारी/सामग्री/दस्तावेज किसी भी व्यक्ति/संगठन को न दें। यदि ऐसी कोई भी स्थिति निर्मित होती हे तो इसके लिये संबंधित कर्मियों के साथ–साथ सेवा प्रदाता अभिकरण भी जिम्मेदार होंगे।

Scanned with OKEN Scanner

13. अनुबंधित अभिकरण को किसी भी कर्मी द्वारा अपने व्यक्तिगत कारण में सेवा/नौकरी छोड़ने पर उसके स्थान पर अन्य कर्मी तुरन्त देना होगा। ऐसा करने में 03 दिन से अधिक का विलम्ब होने पर सेवा प्रदाय अभिकरण से सेवा क्षतिपूर्ति वसूल की जाएगी जो प्रतिदिन 500/– (प्रति प्रकरण) एवं अनुबंध राशि का अधिकतम 10 प्रतिशत तक हो सकेगा।
14. विश्वविद्यालय में अभिकरण के कर्मी के लिये विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत परिभाषित एवं अन्य सभी उदेश्यों के लिये "सेवायोजक" सेवा प्रदाय करने वाले अभिकरण ही होंगे।
15. सेवा प्रदाता अभिकरण अपने कर्मियों की शिकायतों–विवादों के निस्तारण के लिये स्वयं उत्तरदायी होंगे। ऐसे किसी भी विवाद के निपटान हेतु विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।
16. अनुबंधकर्ता पर श्रम सहित अन्य समस्त लागू नियम (Laws) बंधकारी होंगे जिसके अन्तर्गत कर्मियों के कल्याणार्थ समस्त मानदण्डों की पूर्ति अनुबंधकर्ता द्वारा की जावेगी। इस संबंध में यथोचित प्रमाण समय–समय पर प्रस्तुत कराना होगा। पुनः स्पष्ट किया जाता है कि इस प्रकार के उत्तरदायित्व एवं बाह्यता (Obligation) जिसका उल्लेख यहाँ नहीं किया गया है, उनका उत्तरदायित्व एवं बाह्यता अनन्य (Exclusively) रूप से अनुबंधकर्ता की होगी। कार्य के दौरान अभिकरण के कर्मी को कोई वित्तीय नुकसान या कोई शारीरिक क्षति पहुंचती है तो किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति हेतु विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।
17. अनुबंध के दौरान या उसकी समाप्ति के पश्चात अभिकरण द्वारा प्रदत्त कर्मी किसी भी स्थिति में विश्वविद्यालय सेवा में मान्य नहीं होंगे।
18. कर्मियों के पारिश्रमिक का भुगतान अभिकरण द्वारा अनिवार्यतः महीने की 05 तारीख तक करना अनिवार्य होगा। विश्वविद्यालय द्वारा भुगतान में प्रक्रियागत विलम्ब होने की स्थिति में कार्य आधारित भुगतान करने का पूर्ण दायित्व निविदाकर्ता को होगा।
19. GST का भुगतान शासन द्वारा निर्धारित दर के अनुसार पृथक से देय होगा। कर संग्रहकर्ता अधिकारियों को सभी करो/उपकरो को जमा करने का उत्तरदायित्व सेवा प्रदाता (फर्म) का होगा।
20. अनुबंध की समाप्ति पर या उसे निरस्त किये जाने पर या अन्यथा की स्थिति में अभिकरण कर्मी को विश्वविद्यालय में न तो समायोजित होने अथवा न ही नियमित/अन्य रूप से समायोजित होने हेतु कोई छूट की पात्रता होगी।
21. लागू विधियों के अन्तर्गत सभी पंजियों के रख–रखाव की जिम्मेदारी अभिकरण की होगी। कोई भी जानकारी/नियम माँगे जाने पर संबंधित अधिकारी/प्राधिकारी को अभिकरण द्वारा उसे प्रस्तुत किया जावेगा।
22. यदि निविदाकर्ता कोई भी विधिक/आयकर या अन्य करों/दायित्वों को पूरा करने में असफल रहता है, जिस कारण से विश्वविद्यालय को कोई नुकसान या उसे आर्थिक या अन्य कोई क्षति पहुंचती है, तो विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि जिस सीमा तक क्षति पहुँची है, उस सीमा तक राशि की कटौती अभिकरण से बकाया भुगतानों/देयकों से या परफार्मेंस गारंटी (सिक्योरिटी) डिपोजिट से समायोजित (Deduct) कर ले।
23. अनुबंध उपरांत निविदाकर्ता को आवश्यकतानुसार प्रशिक्षित कर्मी उपलब्ध करवाने होंगे। यदि समय सीमा में कर्मी उपलब्ध नहीं कराये जाते या निविदाकर्ता की ओर से कोई गम्भीर/विधिक कमी प्रकट होती है तो विश्वविद्यालय को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वह अगले न्यूनतम दर वाली निविदाकर्ता (L2) से अनुबंध कर कार्य करायें तथा दरों की अंतर राशि का समायोजन L1 की अमानता राशि में से किया जावे।

Scanned with OKEN Scanner

24. जो अभिकरण बोली में सफल नहीं होंगे उनकी धरोहर राशि (EMD) बिना किसी ब्याज के E-Tender के नियमानुसार वापस कर दी जाएगी।

25. निविदा में सफल होने वाली अभिकरण को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परफारमेंस गारंटी राशि के रूप में कुल संविदा मूल्य का 03 प्रतिशत राशि का एफडीआर (या सुविधानुसार मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियमानुसार अन्य रूप में) जमा कराना होगा। निष्पादन प्रतिभूति प्राप्त होने पर सफल निविदा कर्ता को EMD नियमानुसार लौटाई जायेगी।

26. सफल निविदाकार कार्यादेश जारी होने के 15 दिनों की समयावधि में अनुबंध निस्पादित करेगा तथा यदि वह अनुबंध से किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है, तो बिना किसी सूचना के उसकी धरोहर राशि जप्त कर तथा अनुबंध निरस्त कर उसे ब्लैक लिस्टेड घोषित कर दिया जाएगा। अनुबंध निष्पादित होने के पूर्व भी नाम वापस लेने पर EMD, L1 की जप्त होगी।

27. समस्त विवादों का निपटारा भारतीय मध्यस्थ एवं समझौता अधिनियम के तहत किया जाएगा।

28. निविदा में प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों की स्कैन कॉपी सुस्पष्ट एवं पठनीय होना चाहिये। प्राप्त दस्तावेज पठनीय न होने/द्विअर्थी होने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदाकर्ता की होगी। पठनीय/सुस्पष्ट न होने या कोई कमी/अप्रमाणित होने या त्रुटि की स्थिति में फाएनेंसियल बिड हेतु विचार नहीं किया जावेगा।

29. सेवाप्रदाता द्वारा किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था द्वारा प्रतिबंधित/ब्लेक लिस्टेड के आशय का शपथ पत्र यदि गलत पाया जाता है, अथवा शिकायत की पुष्टि होती है तो संस्था की निविदा/अनुबंध को समाप्त कर दिया जाएगा तथा उसकी परफारमेंस गारंटी जप्त कर ली जावेगी एवं उसे ब्लैक लिस्टेड घोषित कर दिया जावेगा। ऐसी संस्था पर कानूनी कार्यवाही भी प्रस्तावित होगी।

30. निविदाएँ मान्य करने, अमान्य करने, निरस्त कर किसी भी शर्त को शिथिल करने आदि का पूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा। सामान्यतः कार्यालय प्रमुख/प्राधिकारी किसी भी विवाद की स्थिति में माननीय कुलगुरू जी का निर्णय अन्तिम व दोनों पक्षों हेतु सर्वमान्य होगा।

31. अनुबंध प्रथमतः 01 वर्ष के लिये किया जाएगा। कार्य/सेवाएँ संतोषप्रद होने पर पूर्व में स्वीकृति दर एवं शर्तों के अनुसार पुनः 01 वर्ष के लिये नवीनीकरण किया जा सकेगा। यह नवीनीकरण 01 वर्ष के लिये पुनः कार्य विवेचना के आधार पर बढ़ाया जा सकेगा, किन्तु किसी भी स्थिति में यह अनुबंध कुल 03 वर्षों से अधिक नहीं होगा। आगामी नई निविदा स्वीकृत होने तक अभिकरण को स्वीकृत दर पर कार्य करना होगा।

32. वित्तीय निविदा XLS Format (BOQ) में Upload होनी चाहिये। वित्तीय निविदा में समस्त आवश्यक देय योग्य राशियों (कर सहित) का उल्लेख करना आवश्यक है, मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के नियमानुसार प्रशासनिक/सेवा शुल्क का न्यूनतम 10% प्रबंधकीय शुल्क का उल्लेख करना आवश्यक है।

33. अनुबंध करने वाले अभिकरण को किसी अन्य अभिकरण में इस अनुबंध के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों एवं दायित्वों का अंतरित, समूह निर्देशित, प्रतिभूत करने की अनुमति नहीं होगी।

34. निविदाकार इस संस्थान को निविदा जमा करते समय या पश्चातवर्ती किसी भी स्तर पर दी गई सूचनाओं से आवद्ध होगा। यदि उसके द्वारा दिये गये दस्तावेज किसी भी स्तर पर गलत पाये गये तो यह माना जाएगा, कि उसने अनुबंध की शर्तों को भंग किया है। इसके लिये उसके विरूद्ध विधिक कार्यवाही भी की जा सकेगी व निविदा भी निरस्त किया जा सकेगा। पुनश्च सशर्त निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा और उसे निरस्त कर दिया जाएगा।

Scanned with OKEN Scanner

35. अभिकरण का स्थानीय स्तर पर मुख्य/क्षेत्रीय कार्यालय होना अनिवार्य नहीं है। किन्तु असुविधा या अन्य कारण होने पर निविदाकार को विश्वविद्यालय द्वारा निर्देशित किये जाने पर एक क्षेत्रीय कार्यालय 45 दिनों के भीतर छिंदवाड़ा मुख्यालय में खोलना अनिवार्य होगा।

36. अभिकरण द्वारा संदेहास्पद की स्थिति में प्रमाणीकरण हेतु प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों का सत्यापन करवाया जाएगा, असत्य जानकारी पाये जाने पर अभिकरण की परफारमेंस गारंटी जप्त कर उसके विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।

37. संस्था को समान क्षेत्र में कार्य करने का कम से कम तीन वर्षों का अनुभव होना अनिवार्य है।

38. न्यूनतम समानता की स्थिति में अधिभार चयन में फर्म का अधिकतम कार्यानुभव, फर्म की गोपनीयता एवं वित्तीय स्थिरता हेतु वित्तीय स्टेटस प्रमाणन, पारदर्शिता/विश्वसनीयता (डीएम/एसडीएम द्वारा जारी सीसी प्रमाण पत्र) आदि पर निर्णय लेने का अधिकार समिति/विश्वविद्यालय प्रशासन को होगा।

39. अभिकरण किसी भी कर्मी को संलग्न संस्था से वापस लेने के पूर्व विश्वविद्यालय को सूचित कर अनुमति प्राप्त करेगा।

40. फर्म को अगले माह का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा तभी किया जावेगा जब वह पूर्व माह का भुगतान कर्मियों को कर दे तथा भुगतान/दरों PF/ESIC की एक प्रति अगले माह मांगे जाने पर देयक के साथ प्रस्तुत करें। PF/ESIC भुगतान की पूर्ण जिम्मेदारी फर्म/अभिकरण की होगी।

41. फर्म/अभिकरण को मध्यप्रदेश भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम–2015 (यथा संशोधित 2022) का तथा सेवा उपार्जन के संगत नियमों/प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा।

42. फर्म/अभिकरण यथा मानकीकृत होने चाहिए जैसे ISO 90001:2015, ISO 14001:2015 तथा सूचना सुरक्षा प्रबंधन मानक आदि।

43. कर्मियों को शासकीय नियमानुसार 26 दिवस कार्यस्थल पर कार्य करना होगा तथा इस संबंध में अन्य समस्त शासकीय नियम बंधनकारी होंगे।

44. म.प्र. श्रम विभाग, इंदौर/कलेक्टर छिंदवाड़ा द्वारा समय–समय पर जारी परिवर्तित महंगाई (पारिश्रमिक) दरें फर्म द्वारा गाईडलाईन के अनुसार देयक के साथ प्रस्तुत करना मेंडेटरी (अनिवार्य) होगा। वित्तीय बिड में गणना सामान्य कैलकुलेशन अनुसार दशमलव के पश्चात शुद्धतः दो अंको तक मान्य होगी। ऐसी गणना को टेम्परिंग नहीं माना जाएगा।

45. तकनीकि बिड संबंधी समस्त अपलोडेड दस्तावेजों की एक प्रति (हार्ड कॉपी) विश्वविद्यालय के भण्डार विभाग में नियत तिथि (अंतिम तिथि) तक जमा करना अनिवार्य होगा।

46. निःगत दर पर नियुक्त ऑउटसोर्स के माध्यम से कर्मियों को जो राशि पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त हो रही थी/होगी। उसमें वृद्धि का अधिकार विश्वविद्यालय प्रशासन को होगा।

47. ऑउटसोर्स के माध्यम से कार्यरत कर्मियों के कार्य अनुभव की अवधि, कर्मियों की संस्था के प्रति निष्ठा, ईमानदारी और उनकी कार्यालय में उपस्थिति की नियमितता का आकलन करने के पश्चात् कार्यालयीन टीप प्राप्त होने पर ही भविष्य में कर्मियों के पारिश्रमिक में बढ़ोतरी शासन के नियमानुसार ही की जावेगी।

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट 'अ'

//तकनीकी बीड प्रपत्र//

राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिंदवाड़ा (म.प्र.) में अकुशल/अर्द्धकुशल/कुशल/उच्च कुशल/अन्य आवश्यक कर्मियों की सेवाएं उपलब्ध कराने बाबत्।

क्रमांक	फर्म/अभिकरण संस्था	विवरण
1	अभिकरण/फर्म का नाम (पंजीयन प्रमाण–पत्र संलग्न करे)	
2	अभिकरण/फर्म का पता (वैध स्थापना/ गुमास्ता प्रमाण पत्र संलग्न करें)	
3	फर्म/अभिकरण के मालिक/संचालक का नाम	
4	दूरभाष नम्बर एवं ई–मेल आई–डी	
5	फर्म/अभिकरण/संस्था के बैंकर का नाम व पता, दूरभाष नं. तथा मेल	
6	संस्था का पैन नं. (साक्ष्यांकित प्रति संलग्न करें)	
7	फर्म/संस्था का ESIC No. तथा EPF No. (प्रमाणित प्रति संलग्न करे)	
8	धरोहर राशि 300000/– (तीन लाख रूपये मात्र) का विवरण एक प्रति संलग्न करे	
9	श्रम विभाग द्वारा जारी पंजीयन क्रमांक (प्रमाण पत्र संलग्न करें)	
10	जीएसटी पंजीकरण संख्या (साक्ष्यांकित प्रति संलग्न करें)	
11	NIT में उल्लेखित अन्य समस्त प्रमाणित दस्तावेज संलग्न करें।	

Scanned with OKEN Scanner

12. निविदाकर्ता फर्म/अभिकरण के विगत तीन वित्तीय वर्षों में आयकर विवरण –

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	रूपये (लाख में)	रिमार्क
1	2021–22		
2	2022–23		
3	2023–24		

13. अभिकरण/फर्म द्वारा लोक उद्यम/बैंक/शासकीय/अर्द्धशासकीय निकायों में विगत तीन वर्षों में किये गये कार्यों का विवरण–

क्रमांक	संस्था/विभाग का नाम	पता	दूरभाष नं.	अनुबंध राशि	कब से कब तक
1					
2					
3					

कार्यादेश एवं सफल कार्य सम्पादन (संबंधित संस्था के सक्षम अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित) प्रतिवेदन/प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें।

//घोषणा पत्र//

प्रमाणित किया जाता है कि ई–निविदा नियम/शर्तें ठीक से पढ़ने एवं समझने के पश्चात् ही निविदा में दी गई सूचनाएँ एवं उसके साथ लगायें गये दस्तावेज मेरी जानकारी एवं विश्वास में सत्य है। इसमें किसी भी त्रुटि/लापरवाही/गलत/भ्रामक जानकारी/जानकारी छिपाने, जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने अथवा सम्बंधित दस्तावेजों के ई–निविदा में संलग्न न करने पर निविदा अमान्य अथवा निरस्त की जाती है तो इसके लिये मैं/फर्म/अभिकरण/संस्था जिम्मेदार होगी। इसके साथ ही मेरे हमारे विरूद्ध कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है।

तिथि :

नामः

स्थान :

निविदाकर्ता/अधिकृत व्यक्ति के

हस्ताक्षर

फर्म की मोहरः

अभिकरण/फर्म का पूरा पता

दूरभाष/मोबाइल नं.

ई–मेल आईडी

Scanned with OKEN Scanner

//वित्तीय बीड प्रपत्र//

1. फर्म का नाम– .....
2. प्रोपराईटर/साझेदार का नाम– .....
3. संपूर्ण पता – .....
4. फर्म/मालिक का दूरभाष/मोबाईल नंबर – .....
5. फर्म/मालिक की ई–मेल आईडी –.....

क्रमांक	घटक (Component)	प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत आने वाले कर्मियों को भुगतान की जाने वाली दर का पूर्ण विवरण (08 घण्टे के हिसाब से)			
		उच्च कुशल श्रेणी	कुशल श्रेणी	अर्धकुशल श्रेणी	अकुशल श्रेणी
1.	मूल वेतन की मासिक दर (Monthly rates of basic wages)				
2.	पी.एफ. प्रति कर्मी (PF Per Person)				
3.	ईएसआईसी प्रति कर्मी (Esic Per Person)				
4.	प्रति व्यक्ति वेतन का योग (Total wages per person)				
5.	प्रति व्यक्ति प्रबंधिकीय सेवा शुल्क (Management/Service Charges Per Person)				
6.	सरल क्रमांक 1–5 तक की लागत का कुल योग (Total cost Sr. No. 1 to 5)				

नोट– उपरोक्त दरें अद्यतन प्रचलित दरों तथा शासन के नियमों के आधार पर होगी।

निविदाकर्ता/अधिकृत व्यक्ति के

हस्ताक्षर

फर्म की मोहर

Scanned with OKEN Scanner